

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2971
20 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

2971. श्री सी.पी. जोशी:

- श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का और विस्तार कर दिया गया है और यदि हां, तो योजना के उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इसकी आरम्भ से लेकर अब तक लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) वर्ष 2020 से 2022 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत खाद्य राजसहायता पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया है;
(घ) सरकार ने सभी पात्र परिवारों, विशेष रूप से दूरस्थ अथवा हाशिए के क्षेत्रों के परिवारों तक पीएमजीकेएवाई के लाभ की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं;
(ङ) इस योजना के लिए खाद्यान्नों का राज्य-वार मासिक आवंटन कितना है और शहरी तथा ग्रामीण आबादी में लाभार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है; और
(च) भारत में भावी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने के लिए पीएमजीकेएवाई से क्या सबक लिए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साधवी निरंजन ज्योति)

(क) से (च): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) देश में कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण निर्धनों और जरूरतमंदों के समक्ष आई कठिनाइयों को दूर करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी। कोविड-19 संकट को देखते हुए, पीएमजीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का यह आवंटन लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए नियमित आवंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत 28 महीनों की अवधि के लिए लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये के कुल योजनाबद्ध वित्तीय परिव्यय के साथ लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा आवंटित की गई थी।

केंद्र सरकार ने निर्धन लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और गरीबों के समर्थन के लिए कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, पीएमजीकेवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था।

गरीबों के लिए खाद्यान्नों की सुलभता, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में पीएमजीकेवाई के लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और सभी राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किए जाने वाले 11.80 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएमजीकेवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों) को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का निर्णय लिया है।

पीएमजीकेवाई केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। संघ और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों के अंतर्गत की जाती है- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत शामिल किए गए परिवार, जो केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक निर्धनतम हैं और शेष परिवारों की पहचान प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के रूप में की जानी है, जिनकी पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर की जाएगी। केन्द्र सरकार ने पीएमजीकेवाई के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और निर्धन व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की है।

यह योजना पूरे देश में एक समान मूल्य और मात्रा के साथ एक एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान करती है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों, की कठिनाइयों को दूर करती है। एकीकृत पहल के कार्यान्वयन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों और संबंधित सब्सिडी बोझ के साथ-साथ पीएमजीकेवाई के तहत उनकी हकदारियों के बारे में जागरूक करने की परिकल्पना की गई है।

1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए पीएमजीकेवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा उपाय करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टि को दर्शाता है। निःशुल्क खाद्यान्नों का प्रावधान समाज के प्रभावित तबके की किसी भी वित्तीय कठिनाई को संधारणीय तरीके से कम करेगा और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित करेगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2020 से पीएमजीकेवाई के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज प्रतिशतता और संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा पीएमजीकेवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीप्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी जारी की जाती है। विकेन्द्रीकृत खरीद में भाग लेने वाले राज्यों के मामले में, राज्य सरकारें खाद्यान्नों की खरीद और पात्र परिवारों को इसके वितरण की जिम्मेदारी लेती हैं। ऐसे राज्यों में खाद्य सब्सिडी सीधे तौर पर राज्य सरकारों को जारी की जाती है। केन्द्र सरकार अनुमोदित लागत मानकों के अनुसार खरीद प्रचालन पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय को पूरा करने का वचन देती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत डीसीपी राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी की गई खाद्य सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपए में)		
	एनएफएसए	पीएमजीकेएवाई	कुल
2020-21	50971.30	15930.47	66901.77
2021-22	61097.57	18691.97	79789.54
2022-23	49143.31	23139.19	72282.50

दिनांक 01.01.2023 से 15.12.2023 तक भारतीय खाद्य निगम और डीसीपी राज्यों को क्रमशः 1,67,874.90 करोड़ रुपये और 57,686.42 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी जारी की गई है।

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के तहत डीसीपी राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II-क** में दिया गया है।

चावल और गेहूं की खरीद के लिए राज्यों को एफसीआई द्वारा जारी खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा **अनुबंध-II-ख** में दिया गया है।

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटित खाद्यान्नों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

"पीएमजीकेएवाई के विस्तार" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2971 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020 से पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवरेज का प्रतिशत		कवर किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (लाख में)				
		ग्रामीण	शहरी	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 18.12.2023 की स्थिति के अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	60.96	41.14	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	66.31	51.55	8.21	8.40	8.40	8.40	8.40
3	असम	84.17	60.35	251.53	250.30	251.17	251.17	251.17
4	बिहार	85.12	74.53	857.12	871.16	871.16	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ़	84.25	59.98	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77
6	दिल्ली	37.69	43.59	72.73	72.78	72.78	72.78	72.78
7	गोवा	42.24	33.02	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
8	गुजरात	74.64	48.25	382.54	341.71	345.15	344.15	351.60
9	हरियाणा	54.61	41.05	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	56.23	30.99	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64
11	झारखंड	86.48	60.20	263.70	263.70	264.26	264.19	264.19
12	कर्नाटक	76.04	49.36	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93
13	केरल	52.63	39.50	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	80.10	62.61	546.42	470.47	482.59	511.32	534.79
15	महाराष्ट्र	76.32	45.34	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17
16	मणिपुर	88.56	85.75	24.57	18.60	19.97	20.08	20.08
17	मेघालय	77.79	50.87	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46

18	मिजोरम	81.88	48.60	6.68	6.68	6.68	6.81	6.83
19	नागालैंड	79.83	61.98	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05
20	ओडिशा	82.17	55.77	323.60	324.33	324.15	325.03	325.03
21	पंजाब	54.79	44.83	141.51	141.51	141.51	141.51	141.51
22	राजस्थान	69.09	53.00	446.63	440.01	440.01	440.01	440.01
23	सिक्किम	75.74	40.36	3.79	3.79	3.79	3.81	3.81
24	तमिलनाडु	62.55	37.79	357.34	364.69	364.69	364.12	364.12
25	तेलंगाना	60.96	41.14	191.62	191.62	191.62	191.62	191.62
26	त्रिपुरा	74.75	49.54	24.83	24.83	24.83	24.43	24.43
27	उत्तर प्रदेश	79.56	64.43	1520.59	1465.94	1487.44	1497.77	1503.77
28	उत्तराखंड	65.26	52.05	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	74.47	47.55	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	24.94	1.70	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	69.93	54.17	2.91	2.86	3.02	2.69	2.69
32	लक्षद्वीप	35.30	33.56	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	38.54	47.26	2.80	2.80	2.76	2.99	2.99
34	पुदुच्चेरी (डीबीटी)	59.68	46.94	6.15	6.30	6.23	6.34	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	63.93	46.93	72.05	72.41	72.41	72.41	72.41
36	लद्दाख	55.65	41.62	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
	कुल	75.00	50.00	8095.22	7932.80	7972.53	8010.70	8047.64

"पीएमजीकेएवाई के विस्तार" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2971 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीकेएवाई के तहत डीसीपी राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीएमजीकेएवाई 2020-21	पीएमजीकेएवाई 2021-22	पीएमजीकेएवाई 2022-23
1	आंध्र प्रदेश	2764.05	3248.92	1027.02
2	बिहार	737.37	2773.64	5443.15
3	छत्तीसगढ़	2367.03	2438.53	2923.43
4	गुजरात	-	7.13	22.34
5	मध्य प्रदेश	3202.55	5084.52	5181.35
6	महाराष्ट्र	981.60	870.45	1298.51
7	ओडिशा	2964.20	2670.98	2422.25
8	पंजाब	63.06	-	-
9	तेलंगाना	2357.64	1296.51	2551.87
10	उत्तराखंड	492.97	301.29	434.92
11	तमिलनाडु	-	-	139.07
12	पश्चिम बंगाल	-	-	1695.28
	कुल	15930.47	18691.97	23139.19

"पीएमजीकेएवाई के विस्तार" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2971 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीकेएवाई के तहत राज्यों को एफसीआई द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा
(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.स.	क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
1	झारखंड	686.18	1058.06	1252.23
2	ओडिशा	5281.84	4551.87	4243.93
3	असम	206.5	269.63	1177.62
4	हरियाणा	34129.47	38446.39	24411.41
5	हिमाचल प्रदेश	6.2	27.1	6.12
6	जम्मू एवं काश्मीर	0.02	49.04	0.61
7	पंजाब	73335.31	89469.81	78226.7
8	राजस्थान	4572.19	4855.69	21.67
9	उत्तर प्रदेश	21471.43	26012.01	17007.31
10	उत्तराखंड	1030.53	623.41	635.41
11	आंध्र प्रदेश	6870.88	2548.32	3005.16
12	तेलंगाना	15522.12	16713.7	12521.64
13	मध्य प्रदेश	13811.98	14857.34	17977.27
14	छत्तीसगढ़	8779.95	10713.63	13174.35
	सकल योग	185704.6	210196.01	173661.43

"पीएमजीकेवाई के विस्तार" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2971 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2020 से पीएमजीकेवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	1072.920	1475.218	1206.995
2	अरुणाचल प्रदेश	32.845	46.219	37.815
3	असम	1006.117	1380.988	1130.251
4	बिहार	3474.654	4791.399	3920.235
5	छत्तीसगढ़	803.080	1104.235	903.465
6	दिल्ली	290.933	400.290	327.510
7	गोवा	21.280	29.270	23.948
8	गुजरात	1530.143	1884.348	1551.681
9	हरियाणा	505.960	695.695	569.205
10	हिमाचल प्रदेश	114.578	157.545	128.901
11	झारखंड	1054.801	1451.459	1188.611
12	कर्नाटक	1607.720	2210.615	1808.685
13	केरल	619.200	851.401	696.601
14	मध्य प्रदेश	2185.680	2654.248	2214.735
15	महाराष्ट्र	2800.680	3850.920	3150.751
16	मणिपुर	98.526	105.942	90.262
17	मेघालय	85.821	118.003	96.548
18	मिजोरम	26.729	36.752	30.070
19	नागालैंड	56.187	77.258	63.211
20	ओडिशा	1250.609	1783.081	1462.648
21	पंजाब	565.800	778.322	636.809
22	राजस्थान	1786.480	2420.068	1980.056
23	सिक्किम	15.152	20.833	17.045
24	तमिलनाडु	1429.348	2005.815	1641.121
25	तेलंगाना	766.480	1053.920	862.299
26	त्रिपुरा	99.788	136.745	110.705

27	उत्तराखंड	247.787	340.670	278.730
28	उत्तर प्रदेश	5802.846	8126.602	6704.914
29	पश्चिम बंगाल	2407.351	3310.107	2708.270
30	अंडमान निकोबार	2.434	3.347	2.739
31	चंडीगढ़	10.676	15.107	12.379
32	दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव	11.482	15.563	13.293
33	जम्मू एवं कश्मीर	289.462	398.259	325.848
34	लद्दाख	5.756	7.914	6.475
35	लक्षद्वीप	0.880	1.201	0.981
36	पुदुचेरी	25.315	34.396	28.219
	कुल	32105.501	43773.756	35932.010
